20

न्यायालय राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 520–दो/2009 विरूद्ध आदेश 06–02–2009 – पारित – व्दारा – अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना – प्रकरण कमांक 169/2006–07 अपील

1– सागर सिंह पुत्र बादशाह सिंह
2– कैलाश सिंह पुत्र बादशाह सिंह
निवासी रौन जिला भिण्ड,म0प्र0 ---आवेदकगण

विरूद्ध

1– निशान सिंह पुत्र गुलजार सिंह
2– चिमन सिंह पुत्र हुलास सिंह
3– रणजीत सिंह पुत्र हुलास सिंह
4– महिला कमला पत्नि स्व.हुलास सिंह
सभी कस्वा रौन जिला भिण्ड मध्य प्रदेश ---अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री आर0डी0शर्मा)
(अनावेदक क्र–2 सूचना उपरांत अनुपस्थित – एकक्षीय)
(शेष आवेदकगण के अभिभाषक श्री प्रदीप श्रीवास्तव)

आ दे श

(आज दिनांक 6 - 4 - 2016 को पारित)

अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 169/2006–07 अपील में पारित आदेश दिनांक 06–02–2009 के विरूद्ध यह निगरानी म0प्र0 भू राजस्व संहिता,1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम रौन की भूमि सर्वे नंबर 339, 982, 2912 के हिस्सा 1/3 का बादशाह सिंह सहभागीदार था। शेष हिस्से में हिस्सा 2/3 के अनावेदक हिस्सेदार थे। इसी भूमि का ग्राम पंचायत के प्रस्ताव कमांक 3 ठहराव

क्रमांक 3 पर आदेश दिनांक 27-872004 से बटवारा किया गया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी लहार के समक्ष दिनांक 11-8-2006 को प्रस्तुत की एंव अवधि विधान की धारा-5 का आवेदन प्रस्तुत किया कि वाहमी बटवारे पर उसके फर्जी हस्ताक्षर किये गये है क्योंकि वह रौन में न रहकर कानपुर में रहता है। अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण क्रमांक 127/2003-04 अपील में पारित आदेश दिनांक 7-4-2007 से अपील अवधि-वाह्य मानकर निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 169/2006-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 06-02-2009 से अपील निरस्त की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक क्रमांक-2 सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख के अवलोकन पर प्रकरण में विचार योग्य है कि जब आवेदक स्पष्ट रूप से बता रहा है कि वह रौन में न रहकर कानपुर उत्तरप्रदेश में निवास करता है इसलिये उसे बटवारे के सम्बन्ध में जानकारी नहीं है क्योंकि बटवारे हेतु तैयार की गई फर्द पर उसके फर्जी हस्ताक्षर बनाये गये हैं ? अनुविभागीय अधिकारी लहार ने आदेश दिनांक 7-4-2007 में अपील इस आधार पर अवधि वाह्य होना मानकर निरस्त की है कि वाहमी बटवारे पर उसके हस्ताक्षर है एंव यदि उसके हस्ताक्षर नहीं है तो उसके व्दारा दोषियों के विरूद्ध पुलिस में प्रकरण दर्ज

करना चाहिये। अनुविभागीय अधिकारी का यह निर्णय उचित नहीं है। जब अपीलांट कानपुर में रहने का एंव रौन क्षेत्र में न रहने का अभिबचन कर रहा है एंव उसके व्दारा बताया जा रहा है कि बटवारा अभिलेख पर उसके फर्जी हस्ताक्षर बनाये गये हैं एंव आदेश उस पर सॅसूचित भी नहीं किया है - उसके अभिबचन पर अविश्वास का कोई कारण नहीं है।

1. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)-धारा-50 सहपठित 47 - अपील समयावधि के बिन्दु पर निरस्त - निगरानी समयावधि के बिन्दु पर स्वीकार - मामला अधीनस्थ न्यायालय को गुणदोषों पर विचार हेतु भेजा जायेगा।
2. भू राजस्व संहिता, 1959 म0प्र0 - धारा-47 आदेश की सॅसूचना नहीं दी गई - आदेश की जानकारी होने के दिनांक से परसीमा की गणना की जायेगी।

अनुविभागीय अधिकारी, लहार ने उक्त तथ्यों की अनदेखी की है। म0प्र0राज्य तथा अन्य एक विरूद्ध श्रीमती पुष्पादेवी 2006 रा.नि. 156 का न्यायिक दृष्टांत इस प्रकार है :-

> परिसीमा अधिनियम 1963 धारा-5 - राज्य कानूनी निकाय है - इसके कार्यकलाप अनेक अधिकारियों व्दारा प्रबंधित किये जाते हैं - विलम्ब उदारतापूर्वक माफ किया जाना चाहिये - मामला गुणागुण पर विनिश्चत किया जाना चाहिये। (ए.आई. आर. 1996 एस.सी. 2882 से अनुसरित)

भाई साहव तथा अन्य विरूद्ध बेनीशाह 2005 रा.नि. 184 का न्यायिक दृष्टांत इस प्रकार है :-

1. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)-धारा-178 - विभाजन नियम - प्रभावित व्यक्तियों को सूचना दिये बिना विभाजन किया गया - विभाजन के नियमों का पालन नहीं - उदघोषणा की प्रति अभिलेख पर नहीं - ऐसा विभाजन किसी भी समय अपास्त किया जा सकता है।
2. परिसीमा अधिनियम 1963 - धारा-5 - विलम्ब की माफी - व्यक्ति पक्षकार - यद्यपि हितबद्ध पक्षकारों को कभी सूचना नहीं दी गई - आदेश की जानकारी होने पर अपील फाइल कर सकता है - 12 वर्ष के विलम्ब की माफी ठीक ही आदेशित की गई।

परन्तु उक्त पर अनुविभागीय अधिकारी लहार ने गौर न करने की

भूल की है एंव अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना ने भी प्र0क0 169/2006-07 अपील में आदेश दिनांक 06-02-2009 पारित करते समय उक्त पर ध्यान न देने में भूल की है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी ऑशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 169/2006-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 06-02-2009 एंव अनुविभागीय अधिकारी लहार व्दारा प्रकरण कमांक 127/2003-04 अपील में पारित आदेश दिनांक 7-4-2007 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी, लहार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर अपील प्रकरण का निराकरण गुणदोष के आधार पर करें।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
म0प्र0ग्वालियर